without waiting for the usual invitation of the applications?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BISHMA NARAIN SINGH): (a) The entitlement of an officer for allotment of Government residence is determined on the basis of the emoluments drawn by him and not on the basis of his designations. Government have recently decided to create an *ad-hoc* category for type 'D' accommodation (Type IV) within the range of emoluments of Rs. 500—999 prescribed for type 'C' (Type III) accommodation. Accordingly, those whose emoluments fall within the range of Rs. 700—999 including those awaiting allotment of type 'D' accommodation at the end of the previous allotment year are eligible for type'D' (type IV) accommodation.

(b) The matter is under consideration.

Flour supplied to Bakery Industry

1900. SHRI JYOTIRMOY BOSU : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the total flour supplied to organised bakery industry in the country, from 1977-78 to 1980-81, year-wise; and

(b) the share of 10 largest bakery units, including Britannia Biscuit and Modern bakery and others separately, in the total, year-wise from 1977-78 to 1980-81?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION (SHRI R. V. SWAMINATHAN): (a) and (b). The supply of flour is not controlled by the Central Government and no quantity was allotted to Bakery industry by the Central Government.

रोहिणी योजना के लिए एकत्रित की गई धनराशि का एशियाई खेलों में निवेश

1901. श्री तारिक अनवर :

श्री केशव राव पारधी :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार रोहिणी योजना से प्राप्त होने वाली धनराशि का 1982 में एशियाई खेलों में निवेश करने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या यह राशि केवल रोहिणी आवासीय योजना पर ही खर्च की जायेगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां ।

गोदामों के निर्माण के लिए सहायता

1902. श्री राम लाल राही : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खाद्यान्नों के भंडारण के लिए भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस योजना के अधीन भारतीय खाद्य निगम ने उत्तर प्रदेश की उपेक्षा कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्वास निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

नर्मदा नदी के बांध के कार्य में हुई प्रगति

1903. **श्री सत्य नारायण जाटिया :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की नर्मदा परियोजना के अन्तर्गत नर्मदा नदी बांध योजना में कितनी प्रगति हुई है और यह योजना कब तक पुरी हो जायेगी और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या विशेष सहायता सुविधाएं दी गई हैं कि इस योजना के सम्बन्ध में निर्धारित लक्ष्यों को शीघ्र पूरा किया जा सके; और

(ख) नर्मदा नदी सम्बन्धी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन पर काम चल रहा है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) प्रश्न का सम्बन्ध संभवतः मध्य प्रदेश की नर्मदा सागर परियोजना से है । नर्मदा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर परियोजना रिपोर्ट आगे कार्रवाई करने तथा योजना आयोग से अनुमोदित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से अभी केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त नहीं हुई है । लेकिन, मध्य प्रदेश सरकार ने परियोजना पर सर्वेक्षण, पहुंच सड़कों, कालोनियों का निर्माण आदि जैसे कुछ निर्माणपूर्व वर्क्स शुरू कर दिए हैं । इस परियोजना पर मार्च, 1980 तक 339 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं ।

नर्मदा न्यायाधिकरण ने अपने निर्णय में निर्देश दिया है कि मध्य प्रदेश, नर्मदा सागर बांध का निर्माण कार्य गुजरात में सरदार सरोवर बांध के निर्माण कार्य के साथ-साथ या उससे पहले शुरू करेगा और पूरा करेगा । परियोजना कब पूरी होगी, यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर परियोजना को पूर्ण करने के लिए दर्शाए गए कार्यक्रम के बाद ही पता चलेगा ।

इस परियोजना को विश्व बैंक से बैंक के 1983 के वित्तीय वर्ष अर्थात् जुलाई, 1982 से जून, 1983 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई० डी० ए०) ऋण सहायता प्राप्त करने के लिए शामिल कर लिया गया है । विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम सिंचाई मंत्रालय में स्थापित प्रयोजनीय परियोजना तैयारी कक्ष की सक्रिय सहायता से और सचिव (सिंचाई) की अध्यक्षता में गठित कार्यकारी दल के पूर्ण मार्गदर्शन में किया जाएगा ।

(ख) नर्मदा नदी/उसकी सहायक नदियों पर निर्माणाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा दिखाने वाला विवरण संलग्न है ।